



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
 हरियाणा, पंचकुला,

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं
 सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,

यादी क्रमांक: 8/2-2022 पी0एस0 (2)
 दिनांक पंचकुला : 05.03.2024

विषय:- फार्म-VI भरने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको अवगत करवाया जाता है कि विभाग द्वारा निर्धारित नया फार्म-VI मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय एवं एडिड से अनएडिड हुए विद्यालयों द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक एम0आई0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा फार्म-VI निम्नलिखित हिदायतों के अनुसार भरा जाएगा:-

1. विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://schooleducationharyana.gov.in> पर दिए गए Section online application के अन्तर्गत "Form VI Online Application" पर Online भरा जाना है। जिसका direct link http://117.239.183.208/form6_new2024/ है।
2. विद्यालय को फार्म-6 भरने से पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है।
3. विद्यालय MIS Portal के माध्यम से Username एवं Password के द्वारा ही Login कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय का Username एवं Password सही कार्य नहीं कर रहा है तो MIS Portal पर जाकर (<https://hryedumis.gov.in/>) forgot password के अन्तर्गत अपना पुराना Password change कर सकते हैं।
4. सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा फार्म-VI भरा जाना अनिवार्य है।
5. विद्यालय द्वारा विद्यालय के मुखिया का नाम, फोन नं0, ऑफिशियल ई-मेल आई0डी, स्कूल का पिन कोड, स्कूल की प्रबंधन समिति/ट्रस्ट का नाम भरा जाना है
6. विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 व 2023-24 में अपग्रेड हुआ है अथवा नहीं हुआ है तो भी मान्यता की प्रति संलग्न की जानी है।

7. छात्रों से प्रभारित (charged) की जाने वाली फीस में निम्नलिखित शामिल होगा

(i) अनिवार्य फीस घटक (fee components) निम्नलिखित में से किन्हीं या सभी से अन्यथा सभी छात्रों से अनिवार्य फीस घटक प्रभारित नहीं करेगा: अर्थात:-

(क) केवल पंजीकरण के समय एक बार भुगतान योग्य विवरणिका और पंजीकरण फीस;

(ख) विद्यालय में नए प्रवेश के समय अथवा प्रथम, छठी, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के समय पर भुगतानयोग्य दाखिला फीस

(ग) केवल बोर्ड परीक्षा के लिए भुगतान योग्य परीक्षा फीस;

(घ) फार्म-VI में यथा घोषित सभी छात्रों द्वारा सभी सामान्य सुविधाओं के लिए एकल शीर्ष आवर्ती फीस में भुगतानयोग्य समग्र फीस;

(ii) वैकल्पिक फीस घटक-मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए भुगतानयोग्य फीस, निम्नलिखित शामिल होगा,-

(क) परिवहन;

(ख) बोर्डिंग;

(ग) भोजनालय या भोजन-वक्ष;

(घ) अध्ययन-भ्रमण;

(ङ) कोई अन्य समरूप गतिविधि:

परन्तु वैकल्पिक फीस घटक केवल उन्हीं छात्रों से प्रभारित किया जाएगा, जो विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विकल्प देते हैं।

8. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधन, प्रदान की जा रही न्यूनतम सुविधाओं का और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनिवार्य फीस घटक अधिसूचना दिनांक 08.12.2021 के अनुसार प्रभारित किए जाने वाले सभी अधिकतम अनिवार्य फीस घटकों के ब्यौरे फार्म-VI में प्रस्तुत करेगा।


9. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधन फार्म-VI पोर्टल पर दर्शाई गई अंतिम तिथि या उससे पूर्व निदेशक को फार्म-VI ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

10. कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय, फार्म-VI में प्रस्तुत अनिवार्य फीस घटक से अन्यथा कोई अनिवार्य फीस प्रभारित नहीं करेगा।

11. प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, अपने नोटिस बोर्ड /वैबसाइट पर सार्वजनिक रूप से फार्म-VI (फार्म-VI के पैरा 10 को छोड़कर) प्रदर्शित करेगा।

12. फार्म-VI अधूरा /ऑफलाईन या इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने में विफल होने पर, फार्म-VI प्रस्तुत नहीं करने के रूप में माना जाएगा।

13. फार्म-VI प्रस्तुत नहीं करने पर, मान्यता प्राप्त विद्यालय को उस शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस संरचना बढ़ाने से रोक दिया जाएगा।
14. केवल फाईनल submitted application ही स्वीकार की जाएगी। विद्यालय अपनी सुविधा या आवश्यकता अनुसार दिए गए विवरण में अंतिम तिथि तक editing कर सकते हैं, अंतिम तिथि को विद्यालय द्वारा submitted form अंतिम माना जाएगा परन्तु फाईनल submission नहीं किए जाने की स्थिति में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। Final Submission के साथ Application printout की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
15. पोर्टल पर डाटा अपलोड करते समय यदि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो विभागीय email: form6ps2024@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं एवं तकनीकी सहायता के लिए helpline number 0172-5049801 पर किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।



 अधीक्षक पी0एस0
 कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
 हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक: सम

दिनांक, पंचकूला, 05.03.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पी0एस0/अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़
2. पी0एस0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला
3. पी0एस0/निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला
4. पी0एस0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-। एवं ।।
5. पी0एस0/अतिरिक्त निदेशक शैक्षणिक
6. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 गुरुग्राम
7. संयुक्त निदेशक, आई0टी0सैल0।


 अधीक्षक पी0एस0
 कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
 हरियाणा, पंचकूला

DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

PUBLIC NOTICE

Order No. 8/2-2022 PS(2)

Dated 06-03-2024

It is for the information of all recognized private schools (affiliated to any board) in the State of Haryana that in pursuance of Rule 158 of the Haryana School Education (Amendment) Rules 2021 the new Form-VI is to be mandatorily filled up to 31.03.2024 by all these schools. This Form is available on Form VI Online Application" in the "Online Application" Section on the official website <https://schooleducationharyana.gov.in> of School Education Department Haryana and the direct link is http://117.239.183.208/form6_new2024/. The schools can login by using the same Username and Password as provided for their MIS Portal.

The schools may fill & edit the details in the Form VI as per their convenience and necessity upto the last date mentioned in the instructions. Only the forms which have been "finally submitted" by the last date of submission shall be treated as final and accepted. The school shall be responsible for non-final submission of the form. The Form Printout can be taken from the Portal. The schools should take the printout of Form-VI only when they are assured that no further changes are to be made in the Form.

The schools may send Email on the official mail: form6ps2024@gmail.com or contact helpline no. 0172-5049801 between 9:00 AM to 5:00 PM on any working day in case any difficulty arises in uploading data on the Portal.

Action shall be initiated as per the Rules against the schools failing to submit online Form-VI. It is also made clear that only online form shall be accepted. Any Form-VI submitted offline in any field office or the Directorate shall neither be accepted nor valid.

-Sd/-

**Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

GENERAL GUIDELINES FOR FILLING THE FORM-6 PORTAL

1. Online application form is available only on the official website of the department i.e. schooleducationharyana.gov.in. Department shall not be responsible for any kind of cheating, phishing and fraudulent activity by illegitimate way on the internet, in respect of online application form.
2. Applicants are advised to have good internet facility with reasonable speed. Applicants are also advised not to fill the online application form using mobile phone.
3. Any applicant trying to upload irrelevant documents/photographs or any other material would be proceeded against as per law.
4. Portal is working on MIS based credentials. Please do not share username/password with anyone.
5. Only 'final submitted' application will be considered. Without 'final submission' application will not be considered.
6. After filling up online application, review this carefully before final submission. Although edit option will be available but applicants are advised to use it sparingly. Please do not use edit option repeatedly.
7. Apply online, well in time, without waiting for the last date of submission of online application form. Applications received after 11.59 pm on last date shall not be entertained. No request for any change in the online Application Form, after last date, shall be entertained.
8. The applicants are advised to retain printed/hard copies of their final submitted online Application Form and produce the same as and when required.
9. Avoid last hour login to your account to avoid the possibility of disconnection/inability/failure to log on the online application on account of heavy load on internet/website jam. This could also propel you into a position of non-confirmation of your application.
10. It is advised to keep visiting the portal and departmental website regularly for necessary communication/updates. Unnecessary correspondence with Department should be avoided.
11. The applicant must carefully check the information before submitting the same. The applicant will be responsible for any mistake committed in the online application form and Department shall not be responsible or liable in any way. Any information submitted by an applicant in the online application will bind the applicant personally and if found to be false, then school shall be liable for cancellation of permission/recognition.
12. For any technical difficulty/query regarding filling up online application form, the applicant can call at MIS Helpdesk number 0172-5049801 on all working days from 09:00 AM to 05:00 PM. MIS SchoolCode may be kept handy while contacting the Helpline. Applicants may take screenshot in case an error occurs during the filling of application form to take up the matter with Helpdesk. For any other query regarding terms and conditions of Form-6 please email on form6ps2024@gmail.com.